तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 53/2021 अनवान छगनलाल बनाम विशनाराम
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवकर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 09.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, शिवकर पर पत्रावली पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर
09.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा शिवकर पटवार क्षैत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1289/95 रकबा 5.08 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 1290/107 रकबा 10.10 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 1297/95 रकबा 00.02 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 16.00 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा शिवकर पटवार क्षैत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1289/95 रकबा 5.08 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 1290/107 रकबा 10.10 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 1297/95 रकबा 00.02 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 16.00 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 छगनलाल पुत्र आम्बाराम 2 लाभूराम पुत्र आम्बाराम 3 भंवरलाल पुत्र आम्बाराम 4 चमनलाल पुत्र आम्बाराम जातियान माली निवासीयान पुराना जाटावास हमीरपुरा, न्यू वार्ड नंबर 16 चौहटन रोड़ बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		1 विशनाराम पुत्र प्रतापाराम जाति जाट निवासी गंगाणियों की ढ़ाणी खारा राठौड़ान तहसील रामसर 2 तुलसाराम पुत्र भारताराम जाति माली निवासी गंगाईनगर मालियों का वास बाड़मेर 3 शम्भूसिंह पुत्र देवीसिंह 4 भाखरसिंह पुत्र देवीसिंह 5 धांखलसिंह पुत्र देवीसिंह जातियान राजपूत निवासी हमीरसिंह की ढ़ाणी शिवकर 6 देराजराम पुत्र शिवजीराम 7 केशाराम पुत्र शिवजीराम जातियान जाट निवासीयान शिवकर 8 कस्तुराराम पुत्र पूराराम जाति माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या–53 / 2021

दिनांक–09.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवकर पटवार क्षैत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1289 / 95 रकबा 5.08 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 1290 / 107 रकबा 10.10 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 1297 / 95 रकबा 00.02 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 16.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2021 / 5090 – 5093 दिनांक– 09/10/2021
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी छगनलाल पुत्र आम्बाराम वगैराह जाति माली निवासी पुराना जाटावास हमीरपुरा न्यू वार्ड नंबर 16 चौहटन रोड़ बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण विशनाराम पुत्र प्रतापाराम वगैराह जातियान जाट / राजपूत / माली निवासीयान गंगाणियों की ढ़ाणी खारा राठौड़ान तहसील रामसर / गंगाई नगर मालियों का वास बाड़मेर / हमीरसिंह की ढ़ाणी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर